माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्या के 56)

{29 दिसम्बर, 2007}

संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठानवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः

अध्याय-1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होगा।

(3) यह किसी राज्य में , उस तारीख को प्रवृत्त होगा , जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "बालक" के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री है, किन्तु इसमें कोई अव्यस्क परिभाषाएं। सम्मिलित नहीं है:

(ख) "भरण पोषण" में आहार , वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलिति है,

(ग) "अव्यस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम , 1875 के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है;

1875 का 9

(घ) "माता-पिता से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह यथास्थिति, जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिका है या नहीं;

(ड.)"विहित" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाएगए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "संपत्ति से किसी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है , चाहे वह संगमया स्थावर, पैतृक या स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त हो और जिसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित है;

(छ) नातेदार" से निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों को कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में या विरासत में प्राप्त करेगा

(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर ली है;

(झ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(ञ) “अधिकरण” से धारा 7 के अधीन गठित भरण-पोषण अधिकरण अभिप्रेत है;

(ट) "कल्याण" से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थय देखरेख, अमोद-प्रमोद केंन्द्रों और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

3. इस अधिनियम के उपबन्धों का, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

अध्याय-2

माता-पिता और वरिष्ठ का भरण पोषण

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण

4. (1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अंतर्गत माता-पिता है, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है,

I. माता-पिता या पितामह पितामही की दशा में, अपनी एक से अधिक बालकों के विरूद्ध, जो अवयस्क नहीं है;

II. किसी निःसंतान वरिष्ठ नागरिकों की दशा में, अपने ऐसे नातेदार के विरूद्ध जो धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट है,

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाध्यता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिक एक सामन्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) अपने माता-पिता का भरण पोषण करने की बालक की बाध्यता , यथास्थिति, ऐसे माता-पिता अथवा पिता या माता या दोनों की आवश्यकता तक विस्तारित होती है, जिससे कि ऐसे माता-पिता, सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी वरिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा परन्तु यह तब जब के ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा।

परन्तु जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को एक से अधिक नातेदार विरासत में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण, ऐसे नातेदारों द्वारा उस अनुपात में संदेह होगा, जिसमें वे अपनी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे।

भरण पोषण के लिए आवेदन

5. (1) धारा 4 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन-

(क) यथास्थिति, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा, या

(ख) यदि वह अशक्त हैं तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जा सकेगा, या

1875 का 9

(ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संगठन" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सवैच्छिक संगम अभिप्रेत है।

(2) अधिकरण, इस धारा के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते की बाबत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे बालक या नातेदार को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, अन्तरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने और उसका ऐसे

वरिष्ठ नागरिकों को, जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी है, संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जो अधिकरण समय-समय पर निर्देशित करें।

(3) उपधारा (1) के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बालक या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के पश्चात और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् भरण पोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जांच कर सकेगा।

(4) भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते हेतु और कार्यवाही के खर्चे के लिए उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटान किया जायेगा,

परन्तु अधिकरण, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि को, कारणों को लेखबद्ध करते हुए एक बार में तीस दिन की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध फाइल किया जा सकेगा।

परन्तु ऐसे बालक या नातेदार भरण पोषण के लिए कोई आवेदन में माता-पिता का भरण पोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को पक्षकार बना सकेंगे।

(6) जहाँ भरण पोषण का आदेश एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध किया गया था, वहाँ उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु से भरण पोषण का संदाय जारी रखने के अन्य व्यक्तियों के दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(7) भरण पोषण के लिए कोई ऐसा भत्ता और कार्यवाही के खर्चे आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश किया जाता है, यथास्थिति, भरण पोषण या कार्यवाही के खर्चे, आवेदन की तारीख से संदेय होंगे।

(8) यदि ऐसे बालक या नातेदार, जिन्हें ऐसा आदेश दिया जाता है, पर्याप्त हेतुक के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहते हैं, तो कोई ऐसा अधिकरण, आदेश के प्रत्येक मांग के लिए जुर्माने को उद्ग्रहण करने के लिए उपबंधित रीति में देय रकम के उद्ग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रत्येक मास के सम्पूर्ण भरण पोषण भत्ते या उसके किसी मांग के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात असंदत्त शेष भोग के लिए कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या यदि संदाय शीघ्र किया जाता है तो संदाय करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, दंडाविष्ट कर सकेगा,

परन्तु इस धारा के अधीन शोध्य किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उस तारीख से, जिसको यह रकम शोध्य हो जाती है, तीन मास की अवधि के लिए भीतर उस रकम के उद्ग्रहण के लिए अधिकरण को आवेदन नहीं किया जायेगा।

अधिकारिता और प्रक्रिया

6.(1) धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विरूद्ध किसी जिले में कार्यवाही शुरू की जा सकेगी-

(क) जहाँ वह निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया है या

(ख) जहाँ बालक या नातेदार निवास करता है।

(2) धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, उस बालक या नातेदार, जिसके विरुद्ध आवेदन फाइल किया गया है, की उपस्थिति उप्राप्त करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

(3) बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथाउपबंधित प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी।

(4) ऐसी कार्यवाहियों के सभी साक्ष्य उस बालक या नातेदार की, जिसके विरूद्ध भरण पोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, उपस्थिति में लिए जायेंगे और समन मामलों के लिए विहित रीति में अभिलिखित किए जाएंगे।

परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह बालक या नातेदार जिसके विरुद्ध भरण पोषण के संदाय के लिए आदेश किया जाना प्रस्तावित है, जानबूझकर तामील से बच रहा है, या जानबूझकर अधिकरण में उपस्थिति होने की उपेक्षा कर रहा है, तो अधिकरण मामले की एक पक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(5) जहाँ बालक या नातेदार भारत से बाहर निवास कर रहा है, वहां अधिकरण द्वारा समन ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से तामील किए जाएंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

(6) अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व उसे सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षो को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहार्दपूर्ण सुलह हो गई है तो अधिकरण उस आशय को आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "सुलह अधिकारी" से धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरण पोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का नाम अभिप्रेत है।

भरण पोषण अधिकरण का गठन

7. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम में प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरणों का, जो वह धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश के न्यायनिर्णयन और उसका विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे, गठन करेगी।

(2) अधिकरण की अध्यक्षता राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) जहां, किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक अधिकरण गठित किए जाते है वहां राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारवार के वितरण को विनियमित कर सकेंगी।

जाँच की दशा में तक्षिप्त प्रक्रिया

8. (1) अधिकरण, धारा 5 के अधीन कोई जांच करने में ऐसे किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) अधिकरण को शपथ पर साक्ष्य लेने और सांक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थ को प्रकट करने का पता कराने और उनको पेश करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी और अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 196 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(3) इस निमित्त बनाए जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए अधिकरण भरण पोषण के लिए किसी दावे का न्यायनिर्णयन करने और उसका विनिमय करने के प्रयोजन के लिए, जांच करने में उसकी सहायता करने लिए ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा , जिनके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो।

1974 का 2

भरण पोषण का आदेश

9. (1) यदि , यथास्थिति, बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है , भरण पोषण करने से उपेक्षा या इन्कार करते है तो अधिकरण ऐसे उपेक्षा या इन्कार के बारे में समाधान हो जाने पर , ऐसे बालकों या नातेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता देने का जो अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकरण समय-समय पर निर्देश दे।

(2) ऐसा अधिकतम भरण पोषण भत्ता , जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जाए. वह होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए और जो दस हजार रूपए प्रति मास से अधिक नहीं होगा।

भत्ते में परिवर्तन।

10.(1) भरण पोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्व्यपदेशन या भूल के या धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की अथवा भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उस धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन पर अधिकरण भरण पोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चिय के परिणामस्वरूप धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश को रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार यथास्थिति उस आदेश का रद्द या परिवर्तित कर सकेगा।

भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन

11.(1) भरण पोषण के आदेश और कार्यवाहियों के व्ययों के संबंध में आदेश की प्रति यथास्थिति, उस वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता को, जिसके पक्ष में वह आदेश किया गया है किसी फीस के संदाय के बिना दी जाएगी और ऐसा आदेश किसी अधिकरण द्वारा ऐसे किसी स्थान पर जहां वह व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध वह आदेश किया गया है पक्षकारों की पहचान और यथास्थिति, शोध्य भत्ते, या व्यय के असंदाय के बारे में उस अधिकरण का समाधान हो जाने पर प्रवृत्त किया जायेगा।

1974 का 2

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए भरण पोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विहित रीति में निष्पादित किया जायेगा।

कतिपय मामलों का भरण पोषण के संबंध में विकल्प।

12. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी , जहां कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता उक्त अध्याय के अधीन भरण पोषण के लिए हकदार है और इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के लिए भी हकदार है, वहां वह उक्त संहिता के अध्याय 9 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , उन दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन ऐसे भरण पोषण का दावा कर सकेगा, किन्तु दोनों के अधीन नहीं।

भरण पोषण की रकम का जमा किया जाना।

13. जब इस अध्याय के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नातेदार , जिससे ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का सदाय करना अपेक्षित है , अधिकरण द्वारा आदेश सुनाए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आदेशित सम्पूर्ण रकम ऐसी रीति में जमा करेगा, जो अधिकरण निर्देश दें।

जहाँ कोई दावा अनुज्ञात किया जाता है यहां ब्याज का अधिनिर्णय

14. जहाँ कोई अधिकरण इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण का कोई आदेश करता है , वहाँ ऐसा अधिकरण यह निर्देश दे सकेगा कि भरण पोषण की रकम के अतिरिक्त ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से , जो आवेदन करने की तारीख: से पूर्व की तारीख न हो और जो अधिकरण द्वारा अवधारित की जाए , साधारण ब्याज का भी संदाय किया जाएगा जो पांच प्रतिशत से कम और अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

परन्तु जहाँ दंड प्रक्रिया , 1973 के अध्याय 9 के अधीन भरण पोषण के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है , वहाँ न्यायालय माता-पिता के अनुरोध पर ऐसे आवेदन को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे माता-पिता अधिकरण के समक्ष भरण पोषण के लिए आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे। 1974 का 2

अपील अधिकरण का गठन।

15.(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन कर सकेंगी।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा , जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो।

अपीलें।

16.(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित , यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता-पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा परन्तु अपील पर वह बालक या रिश्तेदार, जिससे ऐसे भरण पोषण के आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किए जाने की अपेक्षा की गई है, ऐसे माता-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निर्देर्शित रीति से करता रहेगा

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था , साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण अपील की प्राप्ति पर प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवाएगा।

(3) अपील अधिकरण उस प्राधिकरण से , जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की जाती है , कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा।

(4) अपील अधिकरण, अपील और मंगाए गए अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

(5) अपील अधिकरण , अधिकरण के आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील का न्यायनिर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा :

परन्तु कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जाएगी , जब तक कि दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक-एक प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क भेजी जायेगी।

विभिन्न अभ्यावेदन का अधिकार।

17. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जायेगा।

18. (1) राज्य सरकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को चाहे, वह किसी नाम से ज्ञात हो, भरण पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी। भरण पोषण का अधिकारी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट भरण पोषण अधिकारी , यदि कोई माता-पिता ऐसी वांछा करें , उसका यथास्थिति , अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान प्रतिनिधित्व करेगा।

अध्याय 3

वृद्धाश्रमों की स्थापना

19.(1) राज्य सरकार , ऐसी पहुँच के भीतर के स्थानों पर चरणबद्ध रीति में उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी और इनका अनुरक्षण करेगी , जितने वह आवश्यक समझे और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी , जिसमें न्यूनतम एक सौ पचास ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा दी जा सकें, जो निर्धन है। वृद्धाश्रमों की स्थापना।

(2) राज्य सरकार, वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी. जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी है , जो ऐसे आश्रमों के निवासियों को वृद्धाश्रमों की स्थापना। चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "निर्धन से कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है, जिसके पास स्वयं के भरण पोषण करने के लिए उतने पर्याप्त साधन नहीं है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय 4

वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपबंध

20. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि -

(i) सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित अस्पताल , सभी वरिष्ठ नागरिकों को यथासंभव, बिस्तर प्रदान करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक पंक्तियों की व्यवस्था की जायेगी;

(iii) चिरकारी जानलेवा और हासी रोगों के उपचार के लिए सुविधायें वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित की जाएं,

(iv) चिरकारी वृद्धावस्था के रोगों और वृद्धावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों को विस्तार किया जाए।

(v) जराचिकित्सकीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में जराचिकित्सा के रोगियों के लिए निर्दिष्ट सुविधाय निःशुल्क दी जायें।

अध्याय - 5

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की संरक्षा

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रचार जागरूकता आदि के उपाय

21. राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि-.

(i) इस अधिनियम के उपबंधों का जनमाध्यम , जिसके अंतर्गत टेलीविजन , रेडियों और मुद्रण माध्यम भी है, से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए.

(ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को , जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवा के सदस्य भी है. इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर सुग्राही और जागरूक होने का प्रशिक्षण दिया जाए.

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि , गृह स्वास्थ्य और कल्याण से संबद्ध मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाए.

प्राधिकारी, जिन्हें इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वियत करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

22.(1) राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेंगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेंगी , जो इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, और किसी शक्ति का प्रयोग और अधिरोपित सभी या किसी कर्तव्य का पालन करेगा और वे स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट कर सकेगा , जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का जो विहित किए जाएं. उस अधिकारी द्वारा पालन किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेंगी।

कतिपय परिस्थितियों में संपत्ति के अंतरण का शून्य होना।

23.(1) जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक , जिसने इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात् अपनी सम्पत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरिती अंतरक को बुनियादी सुख-सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवयश्यकताएं प्रदत्त करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख-सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीडन या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका भाग अंतरित कर दिया जाता है , यदि अंतरिती को उस अधिकार की जानकारी है या यदि अंतरण बिना प्रतिफल के है तो तो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार अंतरिती के विरूद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा , न कि उस अंतरिती के विरूद्ध जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकारी की सूचना नहीं है।

(3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अधिकार को प्रवर्तित कराने में असमर्थ है तो धारा 5 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन द्वारा उसकी ओर से कार्यवाही की जा सकेगी।

अध्याय - 6

अपराध और निवारण के लिए प्रक्रिया

वरिष्ठ नागरिकों के को आरक्षित छोड़ना और उनका परित्याग।

24.(1) जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को, किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारावास से, जो तीन मास तक की हो सकगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

अपराधों का संज्ञान।

1974 का 2

25.(1) दंड प्रक्रिया संहित, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का किसी मजिस्टेªट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जायेगा।

अध्याय - 7

प्रकीर्ण

अधिकारियों का लोक सेवक

26. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारिवृन्द को, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

27. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

28. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध न होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

29. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आरम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

निर्देश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

30. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का निष्पादन करने के बारे में किसी राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।

31. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति का कालिक पुनर्विलोकन और निगरानी कर सकेगी।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

32.(1) राज्य सकरार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे।

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जायें, धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया;

(ग) अधिकतम भरण पोषण भत्ता, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा आदेशित किया जाय;

(घ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन वृद्धाश्रम के प्रबंध के लिए स्कीम, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी है, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हों; अपराधों का संज्ञान।

(ड.) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन हो वहां उस सदन के समक्ष रखा जायेगा।

राष्ट्रपति ने दि मेन्टेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियम सिटीजन ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद का राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 has been authorized by the President to be published in the Official Gazette under clause (1) of sub- section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963

सचिव, भारत सरकार
Secretary to the Government of India